

**कार्यालय,**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

**:-कार्यालय ज्ञापन:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3391-MAJOR S D S COLLEGE OF PHARMACY MOHAMMDABAD FARRUKHABAD-209659			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30750.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

*Principal*  
Principal  
09/08/21  
Major S.D.S. College of Pharmacy  
Mohammadabad, Farrukhabad

कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिप/परिमद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करती हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के गद-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहुत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई०/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	3391	भेजर एस०डी०एस० कॉलेज ऑफ फार्मसी मोहम्मदाबाद, कलकत्ताबाद।	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित शर्तों या पूर्वतः प्राप्त करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियममाली 1992, सेमेस्टर विनियमपत्ती-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षीय पाठ्यक्रमों (दो बर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु ₹०-22,500.

*(Handwritten signature)*

Principal, 15/9/2021  
Major S.D.S. College of Pharmacy  
Mohammatabad, Farukhabad

कार्यालय,  
शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक 15-5-2019

-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद, ए0प्र0 लखनऊ ने सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्याप, प्राथमिक शिक्षा परिषद, ए0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में बैठक संवहना हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक में नद-16 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निम्नलि निर्णय लिया गया :-

"समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया कि ऐसी नवस्थापित निम्न डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को ए0आई0सी0टी0ई0 एवं पी0सी0आइ0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों को अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, ए0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु तिनतांकित शर्तों को अधीन पाठ्यक्रम एवं उद्योग अतिव्य प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आइ0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	3381	मेजर एस0डी0एस0 कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद	डिप्लोमा इन फार्मेसी	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट-1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमपाली-1992 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम सहित) हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु रु०- 22,500.00 शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के सुविहित छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सारान द्वारा विगत किये जाने वाले सारानादेश प्रेषणी होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की प्रेषणाएं देनी होंगी।

Principal

Major S.D.S. College of Pharmacy  
Mohammadabad, Farrukhabad